DEPARTMENT OF EDUCATION

B S N V P G COLLEGE

Charbagh, Lucknow

B A SEM- (II)

Education PAPER-II (History of Indian Education;post independence)

Name of the Teacher- Manjul Trivedi

unit-(III) Lecture -5 **Reading time-50 min.**

इस लिखित लेक्चर के अध्ययन से हम-

1-उच्च शिक्षा के ऐतिहासिक विकास क्रम को समझ सकेंगे।

2-उच्च शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न अयोगों एवं समितियों के सुझावों को जान सकेंगे।

3- स्वतंत्र भारत की उच्च शिक्षा में हुए बदलावों को समझ सकेंगे।

BSNVPG (MANJUL TRIVEDI)

उच्च शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न समितियों एवं आयोगों की संस्तुतियां

भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है वैदिक कालीन समाज में शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च था उस समय शिक्षा प्राथमिक तथा उच्च दो स्तरों में वर्गीकृत थी। वैदिक कालीन विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा के लिए दूर-दूर तक ख्याति प्राप्त थे। तदुपरांत बौद्ध काल में उच्च शिक्षा अपने उच्चतम स्वरूप में स्थापित थी। नालंदा तथा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में सुदूर देशों से विद्यार्थी विद्यार्जन हेतु अध्ययन करते थे।

भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव विदेशी उपनिवेशों के स्थापित होने के उपरांत पड़ी। 1835 के मैकाले का विवरण पत्र द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात हुआ। तदुपरांत गठित लगभग सभी आयोगों एवं समितियों ने भारत की उच्च शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उच्च शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न समितियों एवं आयोगों की संस्तुतियों को हम क्रमबद्ध रूप से निम्नांकित रूप में समझ सकते हैं-

वुड का आदेश पत्र (1854) एवं उच्च शिक्षा-

तत्कालीन परिस्थितियों में भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले तथा शोध कार्य कराने वाले विश्वविद्यालय नहीं थे किस घोषणा पत्र में सुझाव दिया गया कि भारत में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कोलकाता और मुंबई में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और इसके बाद आवश्यकतानुसार मद्रास और अन्य स्थानों पर भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे इन विश्वविद्यालयों में सीनेट का गठन किया जाएगा तथा योग्य एवं अनुभवी कुलपति एवं प्राध्यापक नियुक्त किए जाएंगे इन विश्वविद्यालयों में प्राच्य एवं पाश्चात्य भाषा भाषा एवं साहित्य के साथ साथ विधि,दर्शन, इंजीनियरिंग आदि की भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करेंगे तथा उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे।

हंटर कमीशन(1882) एवं उच्च शिक्षा-

इस आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा का भार भारतीयों पर डालने के लिए सुझाव दिए। हंटर कमीशन का मत था की सरकार को उच्च शिक्षा का भार भारतीय जनता पर छोड़ देना चाहिए। राजकीय महाविद्यालय केवल उन्हीं स्थानों पर खोले जाएं जहां जनता द्वारा इन्हें खोलने में असमर्थता हो। आयोग ने गैर सरकारी महाविद्यालयों को शिक्षकों एवं छात्र संख्या तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुदान दिए जाने का भी सुझाव दिया। आयोग ने उच्च शिक्षा का उद्देश्य उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति नैतिक उत्थान तथा नागरिकों के कर्तव्यों का ज्ञान कराना बताया। पाठ्यक्रम के संदर्भ में रुचि पूर्ण विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया। आयोग ने यह भी कहा की उच्च शिक्षा में प्राध्यापकों की नियुक्त करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए।

BSNVPGC (MANJUL TRIVEDI)

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग(1902)-

शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भारत की उच्च शिक्षा के संदर्भ में इस आयोग द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए-

- विश्वविद्यालयों में सीनेट सदस्यों की संख्या तथा उनके कार्यकाल की अवधि को घटाया जाए। प्रत्येक वर्ष 20% में सीनेट सदस्यों का निर्वाचन किया जाए तथा प्रतीक विश्वविद्यालय की सीमा निश्चित की जाए।
- इस कमीशन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाए तथा इनमें शोध कार्य करने की भी व्यवस्था की जाए अध्यापकों की नियुक्ति के संदर्भ में उच्च योग्यता प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति की सलाह दी गई विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन कार्य में भी सुधार किए जाने का सुझाव दिया गया।
- महाविद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रबंध कारिणी समिति होनी चाहिए प्रत्येक महाविद्यालय में पर्याप्त भवन प्राध्यापक पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं होनी चाहिए महाविद्यालयों में लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क को सिंडिकेट को महाविद्यालय की परिस्थिति अनुसार निश्चित करना चाहिए।
- महाविद्यालयों की संबद्धता के नियम कठोर किए जाने का सुझाव भी आयोग द्वारा दिया गया तथा उनके नियमित रूप से निरीक्षण की भी बात कही गई।

सैडलर कमीशन(1917)-

सैडलर कमीशन का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय के संदर्भ में सुझाव देने के लिए किया गया था किंतु इस आयोग ने भारत की उच्च शिक्षा के संदर्भ में भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। सैडलर कमिशन ने विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करते हुए उन्हें सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाने का सुझाव दिया साथ ही कमीशन ने यह भी कहा कि माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से विश्वविद्यालयों को पृथक किया जाना चाहिए। प्रशासन संबंधी नियमों को सरल किए जाने का भी सुझाव इस आयोग द्वारा दिया गया। विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर कोर्ट और सिंडीकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद के गठन का सुझाव भी इस आयोग द्वारा दिया गया।

BSNVPG (MANJU TRIVEDI)

विश्वविद्यालयों में विभागों की स्थापना एवं प्रत्येक विभाग में एक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष की नियुक्त किए जाने का महत्वपूर्ण सुझाव भी इस आयोग द्वारा दिया गया। अध्यापकों के चयन के लिए चयन समितियां गठित किए जाने तथा उनमें विश्वविद्यालय के बाहर के विशेषज्ञ सदस्यों को रखे जाने का महत्वपूर्ण सुझाव भी सैडलर कमिशन की एक प्रमुख देन है। पाठ्यक्रम के संदर्भ में डिग्री कोर्स को 3 वर्ष किए जाने तथा ऑनर्स कोर्स शुरू किए जाने का सुझाव भी इस कमीशन द्वारा दिया गया। आयोग द्वारा यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध कार्य की उचित व्यवस्था की जाए।

राधाकृष्णन कमीशन (1948)-

डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का उद्देश्य भारत की विश्व विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में अपने सुझाव देना था। इस आयोग ने भारत की उच्च शिक्षा का विशद अध्ययन किया तथा अपनी बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए जिन्हें हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं-

- उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में रखी जाए इसकी व्यवस्था करना केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व हो।
- विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन के लिए उनमें विभिन्न समितियों का गठन नियमित रूप से किया जाए उनके अधिकार और कर्तव्य क्षेत्र सुनिश्चित हो।
- विश्वविद्यालयों के कार्यों के संचालन में एकरूपता तथा उनसे संबद्ध महाविद्यालयों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए।
- उच्च शिक्षा का संगठन स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध इन तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाए।
- कला, विज्ञान और विभिन्न व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अलग-अलग विभाग स्थापित किए जाएं। इंजीनियरिंग तकनीकी मेडिकल और टीचर्स ट्रेनिंग के लिए अलग से डिग्री कॉलेज खोले जाएं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं।

PSNVPGC (MANJU TRIVEDI)

- ❖ उच्च शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना हो जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध हो। इसके साथ ही इस आयोग ने उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को प्रगतिशील तथा विकास उन्मुख बनाने की बात कही।
- ❖ स्नातक पाठ्यक्रम को 3 वर्ष का किए जाने तथा कला विज्ञान और व्यवसायिक पाठ्यक्रम के रूप में वर्गीकृत किए जाने का सुझाव भी इस आयोग द्वारा दिया गया।
- ❖ स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य हो।

मुदालियर कमीशन 1952-53-

मुदालियर कमीशन का गठन स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण सुझाव देने के लिए किया गया था इसलिए इस आयोग ने अपने अध्ययन का क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा ही रखा। आयोग का मत था कि गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा ही उच्च शिक्षा की नींव है अतः इसे मजबूत किया जाना आवश्यक है।स्कूली अध्यापकों के प्रशिक्षण केलिए मुदलियार कमीशन ने विशेष सुझाव दिए।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन 1964-66)-

डॉ दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का उद्देश्य संपूर्ण भारतीय शिक्षा के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण सुझाव देना था। किस आयोग ने लगभग 2 वर्ष तक संपूर्ण भारतीय शिक्षा का अध्ययन करते हुए अपने विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए। कोठारी कमीशन द्वारा उच्च शिक्षा के संदर्भ में दिए गए सुझावों को निम्नांकित रूप में व्यक्त किया जा सकता है-

- ❖ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को और अधिक स्वायत्तता दी जाए तथा इसे उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने के साथ-साथ उनके निरीक्षण का भी अधिकार दिया जाए।
- ❖ इंजीनियरिंग चिकित्सा कृषि आज की उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए यूजीसी की तर्ज पर ही अलग-अलग संस्थाएं स्थापित की जाएं।
- ❖ शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु विश्वविद्यालयों को और अधिक अधिकार प्रदान किए जाएं। साथी विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक संगठन का पुनर्गठन किया जाए।

BSNVPGC (MANJU TRIVEDI)

- ❖ विश्वविद्यालयों की शैक्षिक परिषदों में छात्रों को भी प्रतिनिधित्व मिले तथा इस परिषद को पाठ्यक्रम निर्माण एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया जाए।
- ❖ विश्वविद्यालयों के कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए तथा उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होनी चाहिए विश्वविद्यालयों के कुलपति के चयन में स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- ❖ इसके साथ साथ इस आयोग ने नए विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी सुझाव भी दिए। विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में भी कोठारी कमीशन ने व्यापक सुझाव दिए। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम शिक्षण सुधार तथा मूल्यांकन व्यवस्था के उन्नयन के लिए भी इस आयोग द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)-

भारत सरकार ने मई 1986 में नई शिक्षा नीति को मंजूरी देते हुए एक विस्तृत दस्तावेज जारी किया जिसमें समग्र भारतीय शिक्षा के संदर्भ में नीतिगत निर्देश सम्मिलित थे।1986 की नई शिक्षा नीति में "शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली" को अपनाया गया जिसके अंतर्गत एक समान शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया। 10+2+3 संरचना को राष्ट्र के लिए सभी भागों में स्वीकारा गया। इस शिक्षा नीति में कहा गया कि शिक्षा की "राष्ट्रीय प्रणाली" राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित होगी जिसमें पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग तथा शेष लोचनीय अंग होंगे।

उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा में अंतरक्षेत्रीय गतिशीलता के लिए प्रयास किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, प्रौढ़ साक्षरता, वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान के कार्यक्रमों को संसाधन सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व राष्ट्र एक समग्र की तरह से उठाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारतीय चिकित्सा परिषद की राष्ट्रीय प्रणाली के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए सुधार किया जाएगा। एकीकृत योजना को लागू किया जाएगा। यह संस्थाएं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान के साथ मिलकर शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहभागी होंगे।

PSNVPGC (MANJUL TRIVEDI)

उच्च शिक्षा संस्थाओं के एकीकरण तथा सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया तथा उच्च शिक्षा व्यवस्था को ह्रास से बचाने के लिए शीघ्र उपाय किए जाने की संकल्पना की गई। पाठ्यक्रम को पुनर्निर्धारित करने तथा व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात भी इस कही गई। शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान तथा उनमें प्रवेश की संख्या को संस्थान की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। विश्वविद्यालयों को अनुसंधान हेतु अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए जाने का संकल्प प्रदर्शित किया गया।

उच्च शिक्षा में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुक्त विश्वविद्यालय तथा मुक्त अधिगम को प्रोत्साहित किये जाने के साथ ही इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को सुदृढ़ किये जाने का संकल्प लिया गया।ग्रामीण विश्वविद्यालयों के नए पैटर्न को विकसित किए जाने की बात भी कही गई। स्कूली शिक्षा को गुणवत्ता पर बनाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापक विशेष महत्वपूर्ण है इसलिए अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोड़ देने के साथ जिला स्तर पर "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान" (डायट) की स्थापना का भी निर्णय लिया गया।

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति मसौदा (2019)-

भारत की नवीन शिक्षा प्रणाली को निर्धारित किए जाने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली समिति ने मई 2019 में इस मसौदे को भारत सरकार को सौंप दिया है। किंतु इस दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार नई शिक्षा नीति को अपनाया जाना अभी शेष है।

इस नई शिक्षा नीति में भारत की उच्च शिक्षा के संदर्भ में अनेक गुणात्मक सुझाव दिए गए हैं। समिति की सिफारिश है कि विदेशों में भारतीय संस्थानों की संख्या संख्या में वृद्धि के साथ-साथ दुनिया की शीर्ष 200 संस्थाओं को भारत में अपनी शाखाएँ खोलने की अनुमति दी जाए। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है। उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण के स्थापित किए जाने का सुझाव भी इसमें निहित है। सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को तीन श्रेणियों में पुनर्गठित किए जाने का भी सुझाव दिया गया। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सुधार तथा सम्पूर्ण व्यवस्था में में तकनीकी का उत्कृष्ट प्रयोग करने की बात भी कही गयी।

BSNVPG (MANJUL TRIVEDI)

व्यापक परिचर्चा तथा विभिन्न प्रक्रियागत सोपानों के बाद इस शिक्षा नीति को स्वीकृति प्रदान कर जारी किया जाना अभी शेष है।

BSNVPGC (MANJUL TRIVEDI)